

FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

A3
1

अज अदालत कलक्टर, मुकाम नागौर
 प्रार्थी बनाम अप्रार्थी
 अस्तअली खां पुत्र अमरुद खां तहसीलदार, नागौर
 जाति कायमखानी मुसलमान
 निवासी कुम्हारी दरवाजा रोड़, नागौर
 तहसील व जिला नागौर, राज.

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना संख्या 37 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख जारी हुए
18.11.19	वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 21.12.19 को पेश हो।	
9.12.19	वकील प्रार्थी उपरो अप्रार्थी तहसीलदार नागौर का नोबिस बाद तामील शा. नि. है. जिनकी ओर से राज केरोफार उपरो धारा 75 के अन्तर्गत प्रारंभिक दिनांक 19.12.19 को पेश हो।	जिला कलक्टर, नागौर
19/12/19	वकुनाम उपरो पत्रावली में मूल अपील के साथ दिनांक 30/12/19 को पेश हो।	कलक्टर, नागौर
30.12.19	वकील प्रार्थी की ओर वकील श्री फुदेश शमावत ने उपस्थिति पत्र पेश किया, जो मूल अपील पत्रावली में शा. नि. है. अप्रार्थी की ओर से राज केरोफार उपरो वकुल पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 9.1.20 को पेश हो।	कलक्टर, नागौर
9.1.20	वकुनाम उपरो अस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसला हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।	जज (श. कुमार यादव) कलक्टर, नागौर

